

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 200/2021

1. नाथी देवी पुत्री केशरदेव जाति माली निवासीनी सीकर, तहसील व जिला सीकर

-वादीया-

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र केशरदेव
2. अरजनलाल पुत्र आशाराम
3. गुलाबचन्द पुत्र आशाराम
4. पप्पू पुत्र आशाराम
5. पीरूराम पुत्र आशाराम
6. भागीस्थमल पुत्र नाथूराम
7. मुन्नीदेवी पत्नी स्व० नाथूराम
8. सुमेश कुमार पुत्र नाथूराम
9. सुरेश कुमार पुत्र मुन्सीराम
10. मुकेश कुमार पुत्र मुन्सीराम
11. विमल देवी पत्नी मुन्सीराम
12. मंजू पुत्री मुन्सीराम
13. संजू पुत्री मुन्सीराम
14. कौशलया पुत्री मुन्सीराम
15. सीमा पुत्री मुन्सीराम
16. सन्तोष पत्नी मुंशीराम समस्त जाति माली निवासीगण सीकर तहसील व जिला सीकर
17. तहसीलदार, सीकर

- प्रतिवादीगण -

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर



तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/2023/1392 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार अमल दरामद व तरमीम करें।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 14/9/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




उपखण्ड अधिकारी सीकर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर (राजस्थान)

क्र:-राजस्व / 2023 / 1249

दिनांक:- 27 सितम्बर, 2023

मोलदार,

र

विषय:- दावा मु.न. 200/2021, बउनवानी नाथी देवी बनाम रामप्रसाद में निर्णय दिनांक 14.09.2023 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण दावा मु.न. /2021 बउनवानी नाथी देवी बनाम रामप्रसाद में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 9.2023 को निर्णय डिक्री पारित गई है। अतः निर्णयादेश मय डिक्री की प्रति प्रति पत्र के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में, यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश वगैरह नहीं हो तो, नियमानुसार निर्णय डिक्री की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

तः- उपरोक्तानुसार



(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

१९

